



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122021-231744
CG-DL-E-09122021-231744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4713]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943

No. 4713]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5087(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में NH353J के कि.मी. 15.73 से कि.मी. 35.08 (तहसील नागपुर ग्रामीण) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी सावनेर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में NH353J के कि.मी. 15.73 से कि.मी. 35.08 (तहसील नागपुर ग्रामीण) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: नागपुर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कलमेश्वर					
गांव का नाम: दहैगांव					
1	16/A/B, 16/C/1	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
2	5	सरकारी(ग्राम पंचायत दहैगांव)	ग्राम पंचायत दहैगांव	0.0995000(हेक्टेयर)	0.0995000
गांव का नाम: घोगली					
1	24	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
2	3/SERVICE ROAD	अन्य(सर्विस रोड)	सर्विस रोड	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
3	73/1	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
गांव का नाम: घोरद					
1	364/1	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.1950000(हेक्टेयर)	0.1950000
2	364/3	निजी[नॉन -एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	नॉन -एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
3	561	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर(क्लास-1)	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
गांव का नाम: कलमेश्वर					
1	449/1	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर(क्लास-1)	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
2	614/1/A	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर(क्लास-1)	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
3	614/1/B	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.2400000(हेक्टेयर)	0.2400000
4	635 Paiki PLOT NO 19	निजी[नॉन - एग्रीकल्चर(क्लास-1)]	नॉन -एग्रीकल्चर(क्लास-1)	0.0231000(हेक्टेयर)	0.0231000
5	635 Paiki PLOT NO. 2	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	नॉन -एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.0096000(हेक्टेयर)	0.0096000

गांव का नाम: खपरी					
1	1	सरकारी(गवर्नमेंटऑफ़ महाराष्ट्र (आबादी))	गवर्नमेंटऑफ़ महाराष्ट्र (आबादी)	0.0001000(हैक्टेयर)	0.0001000
2	24	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.0070000(हैक्टेयर)	0.0070000
3	247	सरकारी[गवर्नमेंटऑफ़ महाराष्ट्र (आबादी)]	गवर्नमेंटऑफ़ महाराष्ट्र (आबादी)	0.0173000(हैक्टेयर)	0.0173000
गांव का नाम: मोहाली					
1	101	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.1100000(हैक्टेयर)	0.1100000
2	102	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.0300000(हैक्टेयर)	0.0300000
3	115	निजी[नॉन - एग्रीकल्चर(क्लास-1)]	नॉन -एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.0600000(हैक्टेयर)	0.0600000
4	130	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.0500000(हैक्टेयर)	0.0500000
5	154/A/1	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.2100000(हैक्टेयर)	0.2100000
6	154/A/2	निजी[नॉन - एग्रीकल्चर(क्लास-1)]	नॉन -एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.2100000(हैक्टेयर)	0.2100000
7	193/1/B	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर(क्लास-1)	0.0253000(हैक्टेयर)	0.0253000
8	193/2/A	निजी[एग्रीकल्चर (क्लास-1)]	एग्रीकल्चर(क्लास-1)	0.0242000(हैक्टेयर)	0.0242000
9	39	निजी[नॉन - एग्रीकल्चर(क्लास-1)]	नॉन -एग्रीकल्चर (क्लास-1)	0.0600000(हैक्टेयर)	0.0600000
10	40	निजी[नॉन-एग्रीकल्चर(क्लास-1)]	नॉन -एग्रीकल्चर(क्लास-1)	0.0800000(हैक्टेयर)	0.0800000
11	87	सरकारी(जनपद सभा सावनेर)	जनपद सभा सावनेर	0.0100000(हैक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: उबगी					
1	GAOTHAN	सरकारी[गावठाण(आबादी)]	गवर्नमेंट ऑफ़ महाराष्ट्र (आबादी)	0.4136000(हैक्टेयर)	0.4136000
कुल				2.6277	2.6277

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2021

S.O. 5087(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH353J in the stretch of land from Km. 15.73 to Km. 35.08 (Taluka: Nagpur Rural) in the district of NAGPUR in the State of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Saoner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH353J in the stretch of land from NH353J (Taluka: Nagpur Rural) in the district of NAGPUR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA District: NAGPUR					
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kalameshwar					
Village: Dahegaon					
1	16/A/B, 16/C/1	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0030000(Hectare)	0.0030000
2	5	Government(GRAM PANCHAYAT DAHEGAO)	GRAM PANCHAYAT DAHEGAO	0.0995000(Hectare)	0.0995000
Village: Ghogli					
1	24	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.1600000(Hectare)	0.1600000
2	3/SERVICE ROAD	Common(SERVICE ROAD)	SERVICE ROAD	0.0900000(Hectare)	0.0900000
3	73/1	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0900000(Hectare)	0.0900000
Village: Ghorad					
1	364/1	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.1950000(Hectare)	0.1950000
2	364/3	Private(NON-AGRICULTURE)	NON-AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0400000(Hectare)	0.0400000

3	561	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE(CLASS-1)	0.1500000(Hectare)	0.1500000
Village: Kalmeshwar					
1	449/1	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0700000(Hectare)	0.0700000
2	614/1/A	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.1500000(Hectare)	0.1500000
3	614/1/B	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.2400000(Hectare)	0.2400000
4	635 Paiki PLOT NO 19	Private(NON-AGRICULTURE)	NON-AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0231000(Hectare)	0.0231000
5	635 Paiki PLOT NO. 2	Private(NON-AGRICULTURE)	NON-AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0096000(Hectare)	0.0096000
Village: Khapari					
1	1	Government(ABADI)	GOVERNMENT OF MAHARASHTRA(ABADI)	0.0001000(Hectare)	0.0001000
2	24	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0070000(Hectare)	0.0070000
3	247	Government(GOVERNMENT OF MAHARASHTRA(ABADI))	GOVERNMENT OF MAHARASHTRA(ABADI)	0.0173000(Hectare)	0.0173000
Village: Mohali					
1	101	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.1100000(Hectare)	0.1100000
2	102	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0300000(Hectare)	0.0300000
3	115	Private(NON-AGRICULTURE)	NON-AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0600000(Hectare)	0.0600000
4	130	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0500000(Hectare)	0.0500000
5	154/A/1	Private(AGRICULTURE)	AGRICULTURE (CLASS-1)	0.2100000(Hectare)	0.2100000
6	154/A/2	Private(NON-AGRICULTURE)	NON-AGRICULTURE (CLASS-1)	0.2100000(Hectare)	0.2100000
7	193/1/B	Private(AGRICULTURE(CLASS-1))	AGRICULTURE(CLASS-1)	0.0253000(Hectare)	0.0253000
8	193/2/A	Private(AGRICULTURE(CLASS-1))	AGRICULTURE(CLASS-1)	0.0242000(Hectare)	0.0242000
9	39	Private(NON-AGRICULTURE)	NON-AGRICULTURE (CLASS-1)	0.0600000(Hectare)	0.0600000
10	40	Private(CLASS 1)	NON- AGRICULTURE(CLASS-1)	0.0800000(Hectare)	0.0800000
11	87	Government(JANPAD SABHA SAONER)	JANPAD SABHA SAONER	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Village: Ubgi					
1	GAOTHAN	Government(GAOTHAN)	GOVERNMENT OF MAHARASHTRA(Abadi)	0.4136000(Hectare)	0.4136000
Total				2.6277	2.6277

[F. No. No. NHAI/PIU/NGP-2/NK/LA/3(a)/3A1]

RAJESH GUPTA, Director